भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. एसबीसी/यूनियन इलेक्शन्स/शेड्यूल/2012/2 **नई दिल्ली, 18.03.2013**

मुख्य कार्मिक अधिकारी
सभी चालित लाइन रेलें और मेट्रो कोलकाता

विषय: भारतीय रेल पर यूनियनों की मान्यता के लिए गुप्त मतदान चुनाव हेतु अधिसूचना

कृपया गुप्त मतदान चुनाव समिति के दिनांक 18.03.2013 के पत्र सं. एसबीईसी/यूनियन इलेक्शन्स/2012/मोडलिटीज/1 का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत रेलवे ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने हेतु गुप्त मतदान चुनाव करवाने के लिए समिति द्वारा बनाई गई अंतिम रीतियां अपलोड की गई हैं।

दिनांक 08.03.2013 की सूचना सं. 2012/ई(एलआर)III/एलआर/मिस./5(एसबी)-पार्ट के अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने सूचित किया था कि "माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के लिखित याचिका (सी) सं. 26/2008 में दिनांक 03.03.2010 के अदालती आदेशों और एल.पी.ए. सं. 550.2010 में दिनांक 30.01.2013 के आदेशों के जिन्हें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके दिनांक 22.01.13 के आदेश में विधिमान्य ठहराया गया है, अनुपालन में अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।"

उपर्युक्त और रेल मंत्रालय के दिनांक 09.11.12 के आदेश सं. ईआरबी-I/2012/23/49 के विचारार्थ विषयों के आलोक में, गुप्त मतदान चुनाव करवाने की अधिसूचना इसके साथ संलग्न है जिसे सर्वसंबंधित के संज्ञान में लाया जाए।

राजीव किशोर
कार्यपालक निदेशक/ईआरपी, रेलवे बोर्ड एवं
सदस्य सचिव, गुप्त मतदान चुनाव समिति

संलग्नक: यथोक्त

सूचना

विषय: <u>चुनाव अधिसूचना - गुप्त मतदान चुनाव</u>

रेल मंत्रालय के दिनांक 09.11.12 के आदेश सं. ईआरबी-I/2012/23/49 एवं दिनांक 08.03.2013 की सूचना सं. 2012/ई(एलआर)III/एलआर/मिस./5(एसबी)-पार्ट के अनुपालन में जिसके अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने सूचित किया था कि "माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के लिखित याचिका (सी) सं. 26/2008 में दिनांक 03.03.2010 के अदालती आदेशों और एल.पी.ए. सं. 550.2010 में दिनांक 30.01.2013 के आदेशों के जिन्हें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 23523/2012 में उनके दिनांक 22.01.13 के आदेश में विधिमान्य ठहराया गया है, अनुपालन में अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे," के अनुपालन में गुप्त मतदान चुनाव समिति को चुनाव की रीतियां बनाने और उनका पर्यवेक्षण एवं आयोजन करने का कार्य सौंपा गया है।

यूनियनों/फेडरेशनों और रेल प्रशासनों से प्राप्त विचारों/सुझावों के आधार पर, समिति द्वारा गुप्त मतदान चुनाव करवाने की रीतियों को अंतिम रूप दिया गया है और रेलवे बोर्ड की सरकारी वेबसाइट, अर्थात www.indianrailways.go.in/railwayboard पर 'महत्वूपर्ण सूचना' शीर्षक के अंतर्गत "गुप्त मतदान चुनाव समिति" नामक वेब पेज पर अपलोड किया गया है।

2. एसबीईसी ने चुनाव की निम्नलिखित अनुसूची को अंतिम रूप दिया है जो 25, 26 एवं 27 अप्रैल, 2013 को आयोजित किए जाएंगे जिसकी विस्तृत अनुसूची नीचे दी गई है।

गुप्त मतदान चुनावों की अनुसूची

चुनाव प्रक्रिया में चरण	**अनुसूचित तारीख एवं समय**
अंतिम रीतियों को अपलोड करना	18.03.13 (दोपहर 2.30 बजे)
एसबीईसी द्वारा चुनाव अनुसूची की अधिसूचना	18.03.13 (सांय 5.00 बजे)
क्षेत्रीय रेल द्वारा अधिसूचना जारी करना	19.03.13 (सांय 5.00 बजे)
नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	25.03.13 (सांय 5.30 बजे)
नामांकनों की संवीक्षा करने की अंतिम तारीख	01.04.13 (दोपहर 12.30 बजे)
नामांकनों के प्रदर्शन की अंतिम तारीख	01.04.13 (सांय 5.30 बजे)
नामांकनों को वापिस लेने की अंतिम तारीख	02.04.13 (दोपहर 12.30 बजे)

नामांकनों की अंतिम सूची के प्रदर्शन की अंतिम तारीख	02.04.13 (सांय 5.00 बजे)
डाक मतपत्र के लिए अनुरोध करने की अंतिम तारीख	09.04.13 (सांय 5.00 बजे)
मतपत्रों के प्रदर्शन की अंतिम तारीख	12.04.13 (सांय 5.00 बजे)
डाक मतपत्रों की सुपुर्दगी/प्रेषण की अंतिम तारीख	16.04.13 (सांय 5.00 बजे)
चालित लाइन रेलों के लिए मतदान की तारीखें	25, 26, 27.04.2013
कारखानों और भंडार डिपुओं के लिए मतदान की तारीखें **	***25 एवं 26.04.2013***
मेट्रो कोलकाता के लिए मतदान की तारीखें **	***25 एवं 26.04.2013***
शिकायतें जमा करवाने की अंतिम तारीख	28.04.13 (दोपहर 3.30 बजे)
पुनर्मतदान के बारे में आदेश, यदि कोई हो	29.04.13 (दोपहर 2.30 बजे)
पुनर्मतदान की तारीख	30.04.13
डाक मतपत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख	27.04.13 (सांय 5.00 बजे)
मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा	2.05.13

**शिकायत जमा करवाने, पुनर्मतदान का आदेश देने और पुनर्मतदान करवाने की तारीखें को चालित लाइन के लिए मुख्य चुनावों हेतु सादृश्य गुंजाइश रखते हुए निर्धारित की जाएंगी। बहरहाल, सभी इकाइयों/संगठनों के लिए मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा उसी दिन अर्थात 02.05.2013 को की जाएगी।

3. रजीस्टर्ड रेल ट्रेड यूनियनें जो गुप्त मतदान चुनावों में भाग लेने में रुचि रखती हैं और जो अंतिम रीतियों के पैरा 1 में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करती हैं, उपर्युक्त साइट एड्रेस पर अपलोड किए गए नामांकन प्रपत्र के अनुसार संबंधित रेलवे के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर सकती हैं। नामांकन प्रपत्र के साथ रीतियों के पैरा 12.2 में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तोवज मौजूद होने चाहिए जिनकी अनुपस्थिति में गुप्त मतदान में यूनियन की भागीदारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

एसबीसी/यूनियन इलेक्शन्स 2012/मोडलिटीज/1 **नई दिल्ली, 18.03.2013**

मुख्य कार्मिक अधिकारी
सभी चालित लाइन रेलें और मेट्रो कोलकाता

विषय: भारतीय रेल पर यूनियनों/फेडरेशनों की मान्यता के लिए गुप्त मतदान चुनाव हेतु अंतिम रीतियां

रेल मंत्रालय ने दिनांक 09.11.12 के अपने आदेश सं. ईआरबी-I/2012/23/49 के अंतर्गत, भारतीय रेल पर यूनियनों और फेडरेशनों को मान्यता प्रदान करने हेतु गुप्त मतदान चुनाव का पर्यवेक्षण एवं आयोजन करने के लिए नीचे लिखे अनुसार एक समिति का गठन किया है:

अध्यक्ष: श्री आर.आर. जारूहार - सदस्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त) रेलवे बोर्ड

सदस्य: श्री ए.के. निगम - सलाहकार औद्योगिक संबंध (सेवानिवृत्त) रेलवे बोर्ड

सदस्य सचिव: श्री राजीव किशोर - कार्यपालक निदेशक/ईआरपी, रेलवे बोर्ड

2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

i. नवंबर 2007 में आयोजित चुनावों हेतु पूर्व समिति द्वारा बनाई गई रीतियों की समीक्षा करना/यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के लिए अगले गुप्त मतदान चुनाव आयोजित करने की रीतियां बनाना।
ii. श्रम मंत्रालय की अनुशासन संहिता की तर्ज पर भारतीय रेल के लिए उपयुक्त चुनावों हेतु आचार/अनुशासन संहिता बनाना।
iii. गुप्त मतदान का आयोजन एवं पर्यवेक्षण करने के लिए केंद्रक निकाय के रूप में कार्य करना।
iv. चुनाव से प्रोद्भूत विवादों की मध्यस्थता हेतु तंत्र का सुझाव देना; और
v. बोर्ड स्तर पर फेडरेशन (फेडरेशनों) को मान्यता प्रदान करना।

3. उसके अतिरिक्त, दिनांक 08.03.2013 की सूचना सं. 2012/ई(एलआर)III/एलआर/मिस./5(एसबी)-पार्ट के अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने सूचित किया था कि “माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के लिखित याचिका (सी) सं. 26/2008 में दिनांक 03.03.2010 के अदालती आदेशों और एल.पी.ए. सं. 550.2010 में दिनांक 30.01.2013 के आदेशों के जिन्हें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका

(दीवानी) सं. 23523/2012 में उनके दिनांक 22.01.13 के आदेश में विधिमान्य ठहराया गया है, अनुपालन में अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।"

4. 11.03.2013 को समिति ने वेबसाइट पर **रीतियों का प्रारूप** अपलोड कर दिया था और 15.03.2013 को सांय 5.30 बजे तक सुझाव/विचार आमंत्रित किए थे। समिति को पूरी भारतीय रेल से विभिन्न दावेकारों और यूनियनों से ईमेल एवं पत्रों के माध्यम से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए थे।

5. इन सुझावों, रेलवे बोर्ड की दिनांक 08.03.13 की सूचना और समिति को समनुदिष्ट विनिर्दिष्ट विचारार्थ विषायों के आधार पर, समिति ने निम्नलिखित **अंतिम रीतियां** तैयार की हैं जो सर्वसंबंधित के सूचनार्थ संलग्न हैं। अंतिम रीतियों को रेलवे बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर **"गुप्त मतदान चुनाव समिति"** नामक वेबपेज के अंतर्गत अपलोड कर दिया गया है।

6. यह अनुरोध है कि संलग्न सूचना को प्रमुख सूचना पट्टों पर लगाया जाए ताकि सर्वसंबंधित वेबसाइट पर **अंतिम रीतियों** का अवलोकन कर सकें।

राजीव किशोर
कार्यपालक निदेशक/ईआरपी
एवं सदस्य सचिव, गुप्त मतदान चुनाव समिति

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

<u>सूचना</u>

विषय: भारतीय रेल पर यूनियनों/फेडरेशनों की मान्यता के लिए गुप्त मतदान चुनाव हेतु अंतिम रीतियां

रेलवे बोर्ड ने दिनांक 09.11.12 के आदेश सं. ईआरबी-I/2012/23/49 के अंतर्गत गुप्त मतदान चुनाव समिति को समनुदिष्ट विचारार्थ विषयों और यूनियनों/फेडरेशनों एवं क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त हुए विचारों/सुझावों के आधार पर, समिति ने अंतिम रीतियां बनाई हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर **"गुप्त मतदान चुनाव समिति"** नामक वेबपेज के अंतर्गत अपलोड कर दिया गया है।

अनुबंध-I

अनुशासन संहिता

चुनाव लड़ने वाली सभी रजीस्टर्ड ट्रेड यूनियनें लिखित वचनबद्धता देंगी कि वे अनुशासन संहिता का पालन करेंगी।

I. प्रबंधन और यूनियन (यूनियनें) सहमत हैं -

i. किसी भी औद्योगिक मामले के संबंध में कोई एकपक्षीय कार्रवाई नहीं की जाएगी और कि विवादों को उपयुक्त स्तर पर निपटाया जाना चाहिए;

ii. कि विवादों को शीघ्रोशीघ्र तेजी के साथ निपटाने के लिए मौजूदा तंत्र प्रयोग किया जाना चाहिए;

iii. कि सूचना के बिना कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं होगी।

iv. कि लोकतांत्रिक सिद्धातों में अपनी आस्था की अभिपुष्टि करते हुए, वे स्वयं को सभी भावी मतभेदों, विवादों और शिकायतों को परस्पर वार्ता, सुलह और स्वैच्छिक मध्यस्थता से निपटाने के लिए बाध्य करते हैं।

v. कि कोई भी पक्ष (क) जोर-जबरजस्ती, (ख) डराने-धमकाने, (ग) परपीड़न या (घ) कम काम का आश्रय नहीं लेगा।

vi. कि वे (क) मुकदमेबाजी, (ख) रुक जाओ और हड़ताल में रहने और (ग) तालाबंदी से बचेंगे।

vii. कि वे सभी स्तरों पर अपने प्रतिनिधियों के बीच और स्वयं कामगारों के बीच रचनात्मक सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे और परस्पर सहमत करारों की भावना का पालन करेंगे;

viii. कि वे परस्पर सहमत आधार पर एक शिकायत पद्धति स्थापित करेंगे जो त्वरित एवं पूर्ण जांच-पड़ताल सुनिश्चित करेगी जिसके परिणामस्वरूप समाधान होगा;

ix. कि वे शिकायत पद्धति के विभिन्न चरणों का पालन करेंगे और कोई मनमानी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे इस पद्धति का परिहार हो; और

x. कि वे प्रबंधन कार्मिकों और कामगारों को एक-दूसरे प्रति उनकी बाध्यताओं के बारे में शिक्षित करेंगे।

II. प्रबंधन सहमत है -

i. किसी गैर-वाजिब श्रम पद्धति का समर्थन नहीं करेगी, जैसे कि (क) यूनियन के सदस्य बनने या जारी रखने के लिए कर्मचारियों के अधिकार के साथ दखलंदाजी, (ख) ट्रेड यूनियनों की मान्य गतिविधि के कारण किसी कर्मचारी के प्रति भेदभाव, निग्रह या डराना-धमकाना और किसी कर्मचारी का परपीड़न और किसी रूप में प्राधिकार का दुरुपयोग;

ii. (क) शिकायतों के निपटान और (ख) निपटानों, अधिनिर्णयों, निर्णयों और आदेशों के क्रियान्वयन के लिए तत्पर कार्रवाई करना;

iii. इस संहिता के उपबंधों को रेल कार्यालयों में दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित करना;

iv. तत्काल सेवा मुक्त करने का औचित्य रखने वाली कार्रवाइयों और उन कार्रवाइयों के बीच अंतर की पहचान करना जिनसे पहले चेतावनी, भर्त्सना, निलंबन या किसी अन्य प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई अनिवार्यत: अपेक्षित है, और यह व्यवस्था करना कि ऐसी सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई सामान्य शिकायत पद्धति के माध्यम से एक अपील के अध्यधीन होनी चाहिए;

v. उन मामलों में जहां जांच उजागर करती है कि उसके अधिकारी एवं सदस्य कामगारों द्वारा कार्रवाई को उकसाने के लिए जिम्मेदार थे जिसके परिणामस्वरूप अनुशासन हुआ, अपने अधिकारियों और सदस्यों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

III. यूनियन (यूनियनें) सहमत हैं -

i. कि किसी भी प्रकार के भौतिक दबाव में शामिल नहीं होंगी;

ii. कि ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति नहीं देंगी जो शांतिपूर्ण नहीं है और प्रदर्शनों में उधमता की अनुमति नहीं देंगी;

iii. कि उनके सदस्य कार्य-समय के दौरान दूसरे कर्मचारियों को यूनियन की किसी गतिविधि में सम्मिलित नहीं करवाएंगे या गतिविधि नहीं करवाएंगे, जब तक कि जैसा कि कानून, करार या कार्यपद्धति में व्यवस्था है;

iv. कि गैर-वाजिब श्रम पद्धतियों जैसे (क) ड्यूटी की उपेक्षा, (ख) लापरवाह परिचालन, (ग) संपत्ति को क्षति, (घ) सामान्य कामकाज में दखलंदाजी या व्यतिक्षेप और (ङ) अवज्ञा को हतोत्साहित करेंगी;

v. कि अधिनिर्णय, करार, निपटान और निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर कार्रवाई करेंगी;

vi. इस संहिता के उपबंधों को यूनियन के कार्यालयों में दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित करेंगी; और

vii. इस संहिता की भावना विरुद्ध कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अननुमोदन व्यक्त करेंगी और पदाधिकारियों एवं सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी।

अनुबंध II

देय राशियों के संदाय की घोषणा

मैंने .... महासचिव .... उन सभी बिलों का संदाय कर दिया है जहां कोई विवाद या मसला अंतर्ग्रस्त नहीं था और उसके अतिरिक्त 31.12.13 तक .... रेल द्वारा विभिन्न यूनियन कार्यालयों हेतु रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं के लिए कार्यालय किराया, बिजली प्रभार, टेलीफोन प्रभार आदि के लेखे में 31.12.12 तक सभी देय राशियों का संदाय करने का वचन देता हूँ।

या

मैं .... महासचिव .... 31.12.13 तक .... रेल द्वारा विभिन्न यूनियन कार्यालयों हेतु रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं के लिए कार्यालय किराया, बिजली प्रभार, टेलीफोन प्रभार आदि के लेखे में 31.12.12 तक सभी देय राशियों का संदाय करने का वचन देता हूँ।

(उस विकल्प को काट दें जो लागू नहीं)

(यह घोषणा उन सभी देय राशियों के लिए विधिमान्य है जो प्रशासन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं या विवादों के सुलझ जाने के बाद विवादित बिलों के लिए विधिमान्य है)

नाम ....

महासचिव ....

पता.....................................

रेल का नाम

अनुबंध III

आचार संहिता लागू करने का तंत्र

रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.11.12 के आदेश सं. ईआरबी-I/2012/23/49 के विचारार्थ विषय सं. 2 के अनुसरण में, गुप्त मतदान चुनावों हेतु आचार संहिता/अनुशासन संहिता लागू करने के लिए निम्नलिखित तंत्र लागू किया जाता है।

भारतीय रेल पर गुप्त मतदान चुनावों के दौरान आचार/अनुशासन संहिता लागू करने हेतु तंत्र

क्र. सं.	अपराध/कदाचार	प्रस्तावित शास्ति	कार्रवाई आरंभ करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	शास्ति रोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	अपीली प्राधिकारी
क	**मौद्रिक दंड रोपित करने वाले अपराध**				
1	मतदान आरंभ होने हेतु निर्धारित समय से पहले अड़तालीस (48) घंटे के दौरान और मतदान प्रक्रिया की समयावधि के दौरान चुनाव के संबंध में जनसभाएं आयोजित करना/करना और विभिन्न स्रोतों एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से किसी चुनाव सामग्री का प्रदर्शन	ट्रेड यूनियन पर 5000/- रुपये तक जुर्माना	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	पीठासीन अधिकारी	रिटर्निंग अधिकारी
2	किसी मतदान केन्द्र को जाने या वहां से आने के लिए मुफ्त यात्रा हेतु स्वयं और मतदान अभिकर्ता को छोड़कर किसी मतदाता के वाहन को किराये पर लेने या खरीदने वाला व्यक्ति	ट्रेड यूनियन पर 5000/- रुपये तक जुर्माना	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	पीठासीन अधिकारी	रिटर्निंग अधिकारी
3	जो कोई भी ऐसे चुनावी पर्चे, पोस्टरों, हाथ पर्चों या इश्तिहारों का मुद्रण करता है जिसके अग्रभाग पर मुद्रक का नाम एवं पता नहीं है और उसके साथ	ट्रेड यूनियन पर 5000/- रुपये तक जुर्माना	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख	पीठासीन अधिकारी	रिटर्निंग अधिकारी

क्र. सं.	अपराध/कदाचार	प्रस्तावित शास्ति	कार्रवाई आरंभ करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	शास्ति रोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	अपीली प्राधिकारी
	प्रकाशक भी अपराधी है		करने के लिए प्राधिकृत वरिष्ठ डीपीओ/डीपीओ/उप सीपीओ/एसपीओ		
4	मतदान की तारीख पर मतदान केन्द्र में या उसके पास चुनाव प्रचार करना, मतदान की प्रार्थना करना और मतदाताओं को किसी विशेष विधि से मतदान करने या किसी उम्मीदवार विशेष मतदान नहीं करने के लिए मनाना/दबाव डालना निषिद्ध है और इसका उल्लंघन एक अपराध है	ट्रेड यूनियन पर 5000/- रुपये तक जुर्माना	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	पीठासीन अधिकारी	रिटर्निंग अधिकारी
5	स्थावर और सचल परिसंपत्तियों एवं संरचनाओं को अपरूपित/गंदा करने के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाना	ट्रेड यूनियन पर 5000/- रुपये तक जुर्माना	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	पीठासीन अधिकारी	रिटर्निंग अधिकारी
6	दूसरी यूनियन के खिलाफ असत्य/गलत शिकायत दर्ज करवाना	ट्रेड यूनियन पर 5000/- रुपये तक जुर्माना	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत वरिष्ठ डीपीओ/डीपीओ/उप सीपीओ/एसपीओ	पीठासीन अधिकारी	रिटर्निंग अधिकारी
ख	**भारतीय दंड संहिता और अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अंतर्गत दंडनीय अपराध**				

क्र. सं.	अपराध/कदाचार	प्रस्तावित शास्ति	कार्रवाई आरंभ करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	शास्ति रोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	अपीली प्राधिकारी
1	मतों के अभिलेखन/गिनती की ड्यूटी करने वाला प्रत्येक अधिकारी/लिपिक/अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है और इसका उल्लंघन एक अपराध है।	अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अंतर्गत दंडनीय है	मतों की गिनती की देखरेख करने हेतु प्राधिकृत मतदान/पीठासीन अधिकारी	अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार	अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार
2	मतदान केन्द्र में कदाचार या मतदान अधिकारी के निर्देशों की अवज्ञा पर मतदाता को मतदान केन्द्र से निकाल दिया जाएगा और मतदान अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केन्द्र में पुन: प्रवेश करने का प्रयास करने वाले ऐसे मतदाता के खिलाफ आपराधिक कदाचार हेतु कार्रवाई की जाएगी।	भारतीय दंड संहिता के अनुसार	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी	भारतीय दंड संहिता के अनुसार	भारतीय दंड संहिता के अनुसार
3	मतदान केन्द्र में चुनाव करवाने/कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु तैनात ड्यूटी पर मौजूद रे.सु.ब./पुलिस अधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके उल्लंघन को एक अपराध माना जाएगा।	भारतीय दंड संहिता/अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी	भारतीय दंड संहिता/अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार	भारतीय दंड संहिता/अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार
4	मतप' को मतदान केन्द्र से बाहर निकालने के लिए संदिग्ध व्यक्ति को मतदान अधिकारी द्वारा रोका/उसकी तलाशी ली जा सकती है और उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।	भारतीय दंड संहिता के अनुसार	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए	भारतीय दंड संहिता के अनुसार	भारतीय दंड संहिता के अनुसार

क्र. सं.	अपराध/कदाचार	प्रस्तावित शास्ति	कार्रवाई आरंभ करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	शास्ति रोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	अपीली प्राधिकारी
			प्राधिकृत मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी		
5	मतदान पर कब्जा करना अर्थात मतदान केन्द्र/मतदान और मतों की गिनती करने हेतु निर्धारित स्थान पर कब्जा, केवल समर्थकों को मतदान करने की अनुमति देना, दूसरे मतदाताओं को मतदान करने से रोकना/दबाव डालना और मतदान प्राधिक़ारियों से मतपत्रों का परित्याग करवाना एक अपराध है।	भारतीय दंड संहिता के अनुसार	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी	भारतीय दंड संहिता के अनुसार	भारतीय दंड संहिता के अनुसार
6	मतदाता द्वारा कपटपूर्वक किसी मतपत्र को/किसी मतपत्र पर सरकारी निशान को अपरूपित/नष्ट करने या किसी प्रकार से मतपेटी के साथ छेड़छाड़ करने का कृत्य एक अपराध है।	भारतीय दंड संहिता के अनुसार	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी	भारतीय दंड संहिता के अनुसार	भारतीय दंड संहिता के अनुसार
7	जाली नाम से मतदान करना या मतपत्र हेतु आवेदन करना, अपने नाम से दुबारा मतदान करना और उकसाना, ऐसे किसी प्रकार से मतदान खरीदना या खरीदने का प्रयास करना छद्म करने का अपराध है।	अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अंतर्गत दंडनीय है	मतों की गिनती की देखरेख करने हेतु प्राधिकृत मतदान/पीठासीन अधिकारी	अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार	अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार
8	जो कोई भी जानबूझकर किसी जन सेवक को उसके	भारतीय दंड	मतदान प्रक्रिया का	भारतीय दंड	भारतीय दंड

क्र. सं.	अपराध/कदाचार	प्रस्तावित शास्ति	कार्रवाई आरंभ करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	शास्ति रोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	अपीली प्राधिकारी
	कर्तव्य का निर्वाह करने से रोकने हेतु गंभीर चोट पहुंचाता या हमला करता है	संहिता/अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार	स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी	संहिता/अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार	संहिता/अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार
शा II 9	जो कोई भी i. किसी व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने हेतु उकसाने के उद्देश्य के साथ या ऐसा कोई अधिकार प्रयोग करने हेतु किसी व्यक्ति को पारितोषिक देने का परितोषण देता है; या ii. ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग करने हेतु एक पारितोषिक के रूप में स्वयं के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए; या ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाने या उकसाने का प्रयास करने के लिए कोई परितोषण स्वीकार करता है, घूसखोरी का अपराध करता है; एक अपराध करता है।	भारतीय दंड संहिता/अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार	मतदान प्रक्रिया का स्वतंत्र एवं वाजिब आयोजन की देखरेख करने के लिए प्राधिकृत मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी	भारतीय दंड संहिता/अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार	भारतीय दंड संहिता/अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार
ग	**वे अपराध जिनके परिणामस्वरूप अनर्हता होगी**				
1	रेल कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों/कोटियों के बीच धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर	ऐसे कदाचार या ऐसे कदाचार को	मतदान के दिनों पर मतदान अधिकारी एवं	पीठासीन अधिकारी के माध्यम से	महाप्रबंधक

क्र. सं.	अपराध/कदाचार	प्रस्तावित शास्ति	कार्रवाई आरंभ करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	शास्ति रोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	अपीली प्राधिकारी
	दुश्मनी या नफरत की भावना को बढ़ावा देना	उकसाने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को चुनाव के परिणामों के आधार पर उसकी यूनियन को मान्यता प्रदान किए जाने की स्थिति में यूनियन के पदाधिकारियों को उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी	पीठासीन अधिकारी और उससे पहले संबंधित मंडल/कारखाने के वरिष्ठ डीपीओ/डीपीओ /उप सीपीओ/एसपीओ कार्रवाई आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होंगे।	रिटर्निंग अधिकारी	
2	असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करना, या ट्रेड यूनियन द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथपत्र में कोई सूचना छिपाना	चुनाव लड़ने के लिए यूनियन की अनर्हता	रिटर्निंग अधिकारी	रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से महाप्रबंधक	महाप्रबंधक

अनुबंध IV

गुप्त मतदान चुनाव समिति
गुप्त मतदान-2013

पीठासीन अधिकारी का नियुक्ति पत्र
*****

मैं, __________________, __________________ रेल के लिए रिटर्निंग अधिकारी भारतीय रेल के अराजपत्रित कर्मचारियों की सभी कोटियों का प्रतिनिधित्व करने वाली रजीस्टर्ड ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में सं. __________ के अंतर्गत अधिसूचित गुप्त मतदान करवाने के संबंध में सभी विविध ड्यूटियां करने, पर्यवेक्षण एवं निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने दर्शाए गए मंडल/कारखाने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

क्र.सं.	मंडल/कारखाने का नाम	अधिकारी का नाम	पीठासीन अधिकारी का पदनाम	इन तारीखों का मतदान किया जाएगा

रिटर्निंग अधिकारी ....
नाम ....
पदनाम ....
तारीख: ....

अनुबंध V

______________________ रेल

गुप्त मतदान चुनाव - 2013

मतदान दलों के नियुक्ति पत्र

_____, _____ और _____ को गुप्त मतदान करवाने हेतु गुप्त मतदान चुनाव समिति के निर्णय के अनुपालन में, एतद्‌वारा, मैं निम्नांकित सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकारियों/सरकारी कर्मचारियों को नीचे विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के लिए मतदान अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता हूँ:

1. गुप्त मतदान की तारीखें एवं समय ______
2. मतदान केन्द्र सं. ________
3. मतदान केन्द्र की अवस्थिति _______

क्र.सं.	कोटि	नाम	पदनाम	कार्यालय पता	फोन	हस्ताक्षर
1.	मतदान अधिकारी (1)					
2.	मतदान अधिकारी (2)					
3.	मतदान सहायक					
4.	मतदान सहायक					
5.	मतदान सहायक					
6.	मतदान सहायक					
7.	मतदान हेल्पर					
8.	मतदान हेल्पर					

ब्रीफींग की तारीख एवं समय ___________________ स्थान ________________________

(पीठासीन अधिकारी)

_______ रेल

नाम __________

पदनाम ________

तारीख ________

(रिटर्निंग अधिकारी)

नाम __________

पदनाम ________

तारीख ________

अनुबंध VI

स्वतंत्र चुनाव चिह्नों की सूची

रिटर्निंग अधिकारी, रीतियों के पैरा 10 के उपबंधों के अध्यधीन, चुनाव लड़ने वाली यूनियनों के विकल्प के अनुसार निम्नलिखित चुनाव चिह्नों से आवंटन कर सकता है:

1. मेज
2. कुर्सी
3. कंप्यूटर (डेस्कटॉप)
4. कार
5. मकान
6. पेड़
7. सूटकेस
8. आम
9. केला
10. पेन
11. फूल (गुलाब)
12. किताब
13. मोबाइल फोन
14. टेलीफोन सेट

****

अनुबंध VII

नामांकन प्रपत्र

1. यूनियन का नाम
2. यूनियन द्वारा प्रयुक्त संक्षिप्त नाम
3. स्थानीय भाषा में संक्षिप्त नाम (यदि कोई हो)
4. रजीस्ट्रेशन सं.
5. रजीस्ट्रेशन की तारीख (दिन) (माह) (साल)
6. ट्रेड यूनियनों के पंजीयक का नाम एवं पता जिसके पास रजीस्टर्ड है
7. क्षेत्रीय रेल मुख्यालय में यूनियन का पूरा पता

   टेलीफोन नं.
8. केंद्रीय कार्यालय पदाधिकारियों के के नाम एवं पते, उनक पदनामों के साथ
9. नामांकन दस्तावेजों के साथ जमा करवाए/नहीं करवाई जा रही अनुबद्ध घोषणाओं/संलग्नकों की जांच-सूची: (सभी घोषणाओं/संलग्नकों की प्रतियों को महासचिव द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा)

क्र.सं.	घोषणा/संलग्नक	
1.	31.12.2011 की स्थिति के अनुसार लेखा विववरण और वार्षिक विवरणी	हां/नहीं
2.	यूनियन के संविधान की प्रमाणित प्रति	हां/नहीं
3.	यूनियनों के पंजीयक के पास जमा करवाई पिछली वार्षिक विवरणी (वर्ष 2011 के लिए) की प्रति	हां/नहीं
4.	समर्थन में न्यूनतम सात रेल कर्मचारियों के हस्ताक्षर उनके नाम, पदनाम और तैनाती के स्टेशन के साथ (यह सत्यापन के अध्यधीन है)	हां/नहीं
5.	यूनियन के महासचिव द्वारा एक घोषणा कि उन्होंने गुप्त मतदान के आयोजन के संबंध में रीतियों और आचार/अनुशासन संहिता को पढ़ लिया है और वे उन्हें स्वीकार्य है।	हां/नहीं
6.	यूनियन के महासचिव द्वारा एक घोषणा कि उसने धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र और या देश के कानून के अंतर्गत निषिद्ध किसी अन्य आधार	हां/नहीं

	पर कभी भेदभाव नहीं किया है।	
7.	यह स्पष्ट वचनबद्धता कि महाप्रबंधक से मान्यता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ गुप्त मतदान के परिणाम यूनियन पर बाध्यकारी होंगे।	हां/नहीं
8.	महासचिव द्वारा यह घोषणा कि उनका चुनाव चिहन भारतीय चुनाव आयोग/राज्य चुनाव आयोग द्वारा राजनैतिक दलों को आवंटित किसी चिहन के साथ कोई समानता नहीं रखता है (रीतियों के पैरा 10 का अवलोकन करें)	हां/नहीं
9.	यूनियन के महासचिव द्वारा घोषणा कि उन्हें भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-II के अध्याय XXV एवं XXVI और रीतियों के पैरा 5 एवं 6 के अनुसार अनुशासन संहिता एवं आचार संहिता में अधिूसचित सभी नियम एवं शर्तें (अद्यतन) स्वीकार्य हैं।	हां/नहीं
10.	यूनियन के महासचिव द्वारा घोषणा कि यूनियन द्वारा उपलब्ध कराई सारी सूचना सही है और कि उसके गलत पाए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी अनुबंध III के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है	हां/नहीं
11.	किसी रेल सुविधा पर काबिज नहीं होने के बारे में अनादेय प्रमाणपत्रों/घोषणा की अपेक्षित संख्या	हां/नहीं

घोषणा

मैं, श्री/कुमारी/श्रीमती ____ (नाम एवं पदनाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी ________________________________ महासचिव के पद पर हूँ और एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि यूनियन द्वारा उपलब्ध कराई गई उपर्युक्त सारी सूचना सही है और अगर कोई सूचना गलत पाई जाती है तो महाप्रबंधक/___________________ रेल कोई उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

तारीख: (पूरा नाम)

स्थान: महासचिव,

(यूनियन का पूरा नाम, पते के साथ)

अनुबंध VIII

डाक मतपत्र हेतु अनुरोध

क. (मतदान कर्मचारी के लिए)

मैं ____________________________ (नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी _______________________, (पदनाम) ___________________, (कार्यालय का नाम) _____________________________ में कार्यरत हूँ और मुझे ______________________ द्वारा जारी किए गए दिनांक __________________ पत्र सं. ________________ के अंतर्गत मतदान सहायक/मतदान हेल्पर के रूप में तैनात किया गया है। कृपया मुझे मेरा मतदान करने के लिए डाक मतपत्र दिया जाए।

या

ख. (प्रशिक्षण कर्मचारी के लिए)

मुझे ____________________________ (नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी _______________________, (पदनाम) ___________________, दिनांक __________________ पत्र सं. ________________ के अंतर्गत _______________ से ______________ तक (प्रशिक्षण की अवधि) ______________________ (प्रशिक्षण केन्द्र का पूरा पता) में ______________________ (पाठ्यक्रम का नाम) में प्रशिक्षण लेने के लिए तैनात किया गया है। कृपया मुझे मेरा मतदान करने के लिए डाक मतपत्र दिया जाए।

या

ग. (मार्गरक्षी-ड्यूटी कर्मचारी के लिए)

मैं ____________________________ (नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी _______________________, (पदनाम) ___________________ (पर्यवेक्षक/कार्यालय का नाम) के अधीन _____________________________ के रूप में कार्यरत हूँ और मैं ______________________ से __________________ तक अवधि के दौरान रेलगाड़ी चालन ड्यूटी के कारण दूर होऊंगा। कृपया मुझे मेरा मतदान करने के लिए डाक मतपत्र दिया जाए।

(जो विकल्प लागू न हो, कृपया उसे काट दें)

अनुबंध IX

______________________ रेल

गुप्त मतदान चुनाव - 2103

चुनाव कार्यवाही का अभिलेख

मंडल का नाम __________

मतदान केन्द्र सं. _________________

दिनांक: ____________________

	घंटों में समय (1)	मतपत्रों की कुल संख्या (2)	प्रयुक्त मतपत्र (3)	प्रयुक्त मतपत्रों के क्रमांक (4)	मतपत्रों की शेष संख्या (5) (2-3)	मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर (6)	मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर (7)			
इतने बजे स्थिति	8.00									
			8 बजे से 13 बजे							
	13.00		13 से 18 बजे							
	18.00									

अनुबंध X

______________________ रेल

गुप्त मतदान चुनाव - 2103

चुनाव कार्यवाही का अभिलेख

मंडल का नाम __________

मतदान केन्द्र सं. _________________

दिनांक: _____________________

1. मतदान अधिकारी का नाम एवं पदनाम:
2. प्राप्त मतपत्रों की संख्या (क्रमांक सहित)
3. मतदान किए गए मतों की कुल संख्या:
4. प्रयुक्त मतपत्रों की संख्या* (क्रमांक सहित)
5. अप्रयुक्त मतपत्र (क्रमांक 2 - क्रमांक 4):

*क्रमांक 3 के साथ मेल खाना चाहिए

(मतदान अधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर,

तारीख के साथ)

अनुबंध XI

____________________ रेल

गुप्त मतदान चुनाव - 2103

चुनाव रिपोर्ट का प्रपत्र

मंडल का नाम _________________

मतदान केन्द्र सं. ________________

1. पीठासीन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:
2. प्राप्त मतपत्रों की संख्या (क्रमांक सहित)
3. मतदाताओं की कुल संख्या:
4. मतदान किए गए मतों की कुल संख्या:
5. अविधिमान्य मतों की कुल संख्या
6. प्रत्येक यूनियन के पक्ष में मतों की कुल संख्या:

क्र.सं.	यूनियन का नाम	मतदान किए गए मतों की संख्या

मतदान अभिकर्ताओं के नाम और हस्ताक्षर

नाम हस्ताक्षर

____

____

____

पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

नाम हस्ताक्षर

____

____

____

अनुबंध XII

गुप्त मतदान: 2013
अंतिम परिणामों का संकलन
________ रेल

मंडल/ कारखाना	मतदाताओं की कुल संख्या	मतदान हुए मतों की कुल संख्या	अविधिमान्य मत	शुद्ध विधिमान्य मत	प्राप्त डाक मतपत्रों की कुल संख्या	अविधिमान्य डाक मतपत्र	शुद्ध विधिमान्य डाक मतपत्र	मतदान हुए कुल विधिमान्य मत	प्रत्येक यूनियन के पक्ष में मतदान हुए कुल मतों की संख्या** यूनियन का नाम				कुल निर्वाचक मंडल के प्रतिशत के रूप में मतदान हुए मत अर्थात कॉलम 2 के प्रशित के रूप में कॉलम 11				मतदान हुए कुल विधिमान्य मतों के प्रतिशत के रूप में मतदान हुए मत अर्थात कॉलम 9 के प्रतिशत के रूप में कॉलम 12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				(11)				(12)			
				3-5			6-7	5+8	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ

रिटर्निंग अधिकारी का हस्ताक्षर ________________

नाम ________________

पदनाम ________________

तारीख ________________

**यूनियन के नंबर और नाम रेलवे-दर-रेलवे अलग-अलग होंगे